

बिहार सरकार उद्योग विभाग

आदेश

विभागीय आदेश संख्या-4286 दिनांक 12.09.2025, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-677 दिनांक 24.03.2025, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-18 दिनांक 09.01.2025, तकनीकी विकास निदेशालय सम्प्रति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1523 दिनांक 25.04.2024 एवं हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-692 दिनांक 21.06.2023 द्वारा महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा-04 एवं राजपत्र संख्या-593 दिनांक 09-12-13 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-17903 दिनांक 29-12-2013 द्वारा अधिसूचित नियम के आलोक में उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं अधीनस्थ निदेशालयों में कार्यरत महिला कर्मियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था।

(2) विभाग एवं अधीनस्थ निदेशालयों में अलग-अलग गठित आंतरिक शिकायत समिति को निरस्त करते हुए विभाग स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है।

परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्यद-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-10/महिला-05/2013-1682 दिनांक 27-08-14 के निदेश तथा कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने एवं शिकायत निवारण हेतु विधि एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र संख्या-18 दिनांक 23-04-2013 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-17903 दिनांक 29-12-2013 के आलोक में उद्योग विभाग एवं अधीनस्थ निदेशालयों में कार्यरत महिला कर्मियों के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन पुनः निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1. डॉ० प्रेरणा सिंह,
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
— अध्यक्ष (मो०-7979729256)
ई-मेल-singhprerna87@gmail.com
2. श्री राकेश कुमार,
उप सचिव, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना
— सदस्य (मो०-9608012595)
ई-मेल-rakeshkr69@bihar.gov.in
3. श्री अजय कुमार दीक्षित,
सहायक उद्योग निदेशक,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना
— सदस्य (मो०-9471675640)
ई-मेल-ajaydixit767@gmail.com
4. श्री राजीव रोशन,
प्रशाखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम
निदेशालय, बिहार, पटना।
— सदस्य (मो०-7250924502)
ई-मेल-65ramesh85@gmail.com
5. सुश्री अलका कुमारी,
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी,
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना।
— सदस्य (मो०-7488078750)
ई-मेल-alkahisua96@gmail.com
6. सुश्री मोनिका कुमारी,
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
— सदस्य (मो०-9880948514)
ई-मेल-monikakumari25995@gmail.com
7. श्रीमती बबीता कुमारी,
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
— सदस्य (मो०-9304326856)
ई-मेल-babitauijwala1990@gmail.com
8. श्रीमती पुष्पा कुमारी,
सहायक प्रबंधक, बिसिको, पटना।
— बाह्य सदस्य (मो०-9631726921)
ई-मेल-bicicopatna@gmail.com

(3) यह समिति नामांकन से अधिकतम तीन वर्ष तक कार्यरत रहेगी।

कृ०पृ०उ०

(4) यह समिति विधि एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र संख्या-18 दिनांक 23-04-2013 द्वारा अधिसूचित, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम 2013 की धारा-04 एवं राजपत्र संख्या-593 दिनांक 09-12-13 द्वारा अधिसूचित नियम के आलोक में नियमित रूप से बैठक करेगी तथा स्थिति की समीक्षा कर कार्य स्थल पर कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी। साथ ही समिति इसकी सूचना राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति के सदस्य-सचिव, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के माध्यम से देते हुए इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेगी।

(5) इस संबंध में विभागीय स्तर से पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह0/-

(राधा कृष्ण चौहान)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 181

पटना, दिनांक:- 13/10/26

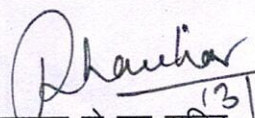
3/उ०स्था०(विविध)20/13 खंड

प्रतिलिपि:-आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष, सभी सदस्यों एवं बाह्य सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय), बिहार/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/माननीय मंत्री उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव के निजी सहायक, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक के निजी सहायक/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निजी सहायक/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0 प्रबंधक, आई0टी0 कोषांग, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव 13/11/26

27
IT manager